06/8/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद खातेदारी धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है तथा प्रकरण वादी साक्ष्य में विचाराधीन चला रहा है। इस कारण विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में बनते है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
		काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 02.12.2024 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा